## उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति एवं शल्कप्रतिपूर्ति हेतु पात्रता और महत्वपूण बिन्दु

## (UP GOVERNMENT SCHOLARSHIP)

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करे के लिए छात्र/छात्रा का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है और उत्तर प्रदेश राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अर्न्तगत आवदेन करने वाले छात्र/छात्रा के माता—पिता की वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अर्न्तगत माता—पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- बी0टेक0 में प्रवेश लेने वाले केवल ऐसे छात्र/छात्रा ही आवेदन कर सकेंगे जिनका प्रवेश काउंन्सिलिंग के माध्यम से होगा और इंटरमिडिएट में 60% या उससे अधिक अंक अर्जित किये होंगे।
- एम0सी0ए0, एम0बी0ए0 और एम0टेक0 में प्रवेश लेने वाले केवल ऐसे छात्र/छात्रा ही आवेदन कर सकेंगे जिनका प्रवेश काउंन्सिलिग के माध्यम से होगा और स्नातक में 55% या उससे अधिक अंक अर्जित किये होंगे।
- केवल उन्ही कोर्स के छात्र/छात्रा आवेदन कर सकेंगे जो कोर्स NBA (National Board of Accreditation) से एक्रीडेटिड होंगें।
- किसी भी कोर्स में मैनजमेन्ट कोटे, वेकन्ट कोटे, फी वेवर (Fee Waiver), कशमीरी माईग्रन्ट और पी०एम०एस०एस०एस० के द्वारा प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा या अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- आवेदन करने से पहल आवेदक समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर दिये गये लिंक <a href="https://scholarship.up.gov.in">https://scholarship.up.gov.in</a> पर जाकर लाग्नि कर सम्पूर्ण जानकारी आवश्य प्राप्त कर लें ताकि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती होने की संभवना न रहें।

## राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु महत्वपूण बिन्दु (National Scholarship)

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के अर्न्तगत निम्नलिखित छात्रवृत्ति के लिए संस्था के छात्र/छात्रा आवेदन कर सकते हैं।

- 1) मेरिट-कम-मिन्स छात्रवृत्ति (Merit-Cum-Means) की पात्रता
  - मेरिट—कम—मिन्स छात्रवृत्ति के लिए केवल जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाइ, बुद्ध और पारसी धर्म के अर्न्तगत आने वाले छात्र/छात्रा ही आवेदन कर सकते हैं जोकि किसी भी तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रम में अध्यनरत हो।
  - मेरिट-कम-मिन्स छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए छात्र/छात्रा के पिछली उत्तीर्ण की गई कक्षा में कम से कम 50% अंक अर्जित किया होना चाहिए या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना चाहिए।
  - छात्र / छात्रा के माता—पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - किसी भी कोर्स में मैनजमेन्ट कोटे, वेकन्ट कोटे, फी वेवर (Fee Waiver), कशमीरी माईग्रन्ट और पी०एम०एस०एस०एस० के द्वारा प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा या अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
  - आवेदन करने से पहले आवेदक National Scholarship Portal की वेबसाइट पर दिये गये लिंक <a href="https://scholarships.gov.in">https://scholarships.gov.in</a> पर जाकर लाग्नि कर सम्पूर्ण जानकारी आवश्य प्राप्त कर लें ताकि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती होने की संभवना न रहें।

- 2) छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र योजना (Cetral Sector Scheme of Scholarship) CSSS की पात्रता
  - CSSS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा केवल बी०टेक० प्रथम वर्ष में ही आवेदन कर सकते हैं और इंटर और बी०टेक० प्रथम वर्ष में गैप नहीं होना चाहिए।
  - CSSS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए छात्र/छात्रा द्वारा इंटरमिडिएट या किसी विशेश बोर्ड की परीक्षा से सम्बन्धित स्टोम में 80% या उससे अधिक अंक अर्जित किये होने चाहिए।
  - परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए।
  - छात्र / छात्रा को कोई ओर अन्य छात्रवृत्ति के लिए तो आवेदन नहीं कर रहा या मिल तो नहीं रही ।
  - किसी भी कोर्स में मैनजमेन्ट कोटे, वेकन्ट कोटे, फी वेवर (Fee Waiver), कशमीरी माईग्रन्ट और पी०एम०एस०एस०एस० के द्वारा प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा या अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
  - डिप्लोमा करने वाले छात्र/छात्रा (लेटरल एन्ट्री छात्र/छात्रा) जो सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेते है CSSS छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं ळें
  - आवेदन करने से पहले आवेदक पर दिये गये लिंक <a href="https://www.buddy4study.com/article/central-sector-scholarship">https://www.buddy4study.com/article/central-sector-scholarship</a> पर जाकर लाग्नि कर सम्पूर्ण जानकारी आवश्य प्राप्त कर लें ताकि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती होने की संभवना न रहें।

## प्रगति छात्रवृत्ति (PRAGATI SCHOLARSHIP)

प्रगति छात्रवृत्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा दी जाने वाली एक सरकारी योजना है।

- प्रगति छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए लड़की उम्मीदवारों को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित कॉलेज / संस्थान में पढ़ना चाहिए।
- प्रति परिवार दो लड़िकयां छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र
  हैं।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक विवाहित है, तो माता-पिता/ससुराल वालों की आय, जो भी अधिक हो, पर विचार किया जाता है।
- छात्र/छात्रा द्वारा प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति की जानकारी के लिए दिये गये लिंक पर जाकर https://www.buddy4study.com/scholarship/aicte-pragati-scholarship-for-girls लाग्नि कर सम्पूर्ण जानकारी आवश्य प्राप्त करले ह ताकि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती की संभवना न रहें।